

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 4 जनवरी 2011—पौष 14, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2011

क्र. 92-8-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30 दिसम्बर 2010 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ४ सन् २०११

मध्यप्रदेश गृह-निर्माण मण्डल (संशोधन) अधिनियम, २०१०

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. प्रोद्धारण का संशोधन.
३. वृहत् नाम का स्थापन.
४. धारा १ का संशोधन.
५. धारा २ का संशोधन.
६. धारा ३ का संशोधन.
७. पांचवां अध्याय के शीर्षक का संशोधन.
८. छठवां अध्याय के शीर्षक का स्थापन.
९. धारा ३१ का संशोधन.
१०. धारा ३२ का संशोधन.
११. धारा ३३-क का अंतःस्थापन.
१२. धारा ३४-क का संशोधन.
१३. धारा ३५ का संशोधन.
१४. धारा ३७ का संशोधन.
१५. धारा ४४ का संशोधन.
१६. धारा ६१-क का अंतःस्थापन.
१७. धारा ६२ का संशोधन.
१८. धारा ७६ का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ४ सन् २०११

मध्यप्रदेश गृह-निर्माण मण्डल (संशोधन) अधिनियम, २०१०

[दिनांक 30 दिसम्बर, २०१० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ४ जनवरी, २०११ को प्रथम बार प्रकाशित की गई]

मध्यप्रदेश गृह-निर्माण मण्डल अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश गृह-निर्माण मण्डल (संशोधन) अधिनियम, २०१० है.

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

२. मध्यप्रदेश गृह-निर्माण मण्डल अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ३ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के प्रोद्धारण में, शब्द "गृह-निर्माण" के स्थान पर, शब्द "गृह-निर्माण एवं अधोसंरचना विकास" स्थापित किए जाएं.

प्रोद्धारण का संशोधन.

३. मूल अधिनियम के वृहत् नाम के स्थान पर, निम्नलिखित वृहत् नाम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

वृहत् नाम का स्थापन.

"आवास स्थान की आवश्यकता के संबंध में कार्यवाही करने तथा उस आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु तथा अधोसंरचना विकास का दायित्व लेने हेतु उपाय करने के प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश राज्य में गृह-निर्माण और अधोसंरचना विकास मण्डल के निगमन तथा विनियमन के लिए तथा उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम."

४. मूल अधिनियम की धारा १ में, उपधारा (१) में, शब्द "गृह-निर्माण" के स्थान पर, शब्द "गृह-निर्माण एवं अधोसंरचना विकास" स्थापित किए जाएं.

धारा १ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा २ में,—

धारा २ का संशोधन.

(एक) खण्ड (३) में, शब्द "गृह-निर्माण मण्डल" के स्थान पर, शब्द "गृह-निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल" स्थापित किए जाएं;

(दो) खण्ड (७-क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(७-क) "अधोसंरचना विकास स्कीमों" में सम्मिलित हैं सड़कों का निर्माण, पुल, मलवहन प्रणाली, हवाई अड्डे, नगर स्तर की जल प्रदाय और अन्य अधोसंरचना विकास स्कीमों;"

६. मूल अधिनियम की धारा ३ के पार्श्व शीर्ष और पाठ में, शब्द "गृह-निर्माण मण्डल" के स्थान पर, शब्द "गृह-निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल" स्थापित किए जाएं.

धारा ३ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम के पांचवां अध्याय के शीर्षक में, शब्द "गृह-निर्माण स्कीमों" के स्थान पर, शब्द "गृह-निर्माण तथा अधोसंरचना विकास स्कीमों" स्थापित किए जाएं.

पांचवां अध्याय के शीर्षक का संशोधन.

८. मूल अधिनियम के छठवां अध्याय के शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

छठवां अध्याय के शीर्षक का स्थापन.

"गृह-निर्माण स्कीमों तथा अधोसंरचना विकास स्कीमों".

धारा ३१ का संशोधन. ९. मूल अधिनियम की धारा ३१ के पार्श्व शीर्ष तथा पाठ में, शब्द "गृह-निर्माण स्कीमों तथा विकास स्कीमों" के स्थान पर, शब्द "गृह-निर्माण स्कीमों तथा/या अधोसंरचना विकास स्कीमों" स्थापित किए जाएं.

धारा ३२ का संशोधन. १०. मूल अधिनियम की धारा ३२ के पार्श्व शीर्ष तथा पाठ में, शब्द "गृह-निर्माण स्कीमों तथा विकास स्कीमों" के स्थान पर, शब्द "गृह-निर्माण स्कीमों तथा/या अधोसंरचना विकास स्कीमों" स्थापित किए जाएं.

धारा ३३-क का अंतःस्थापन. ११. मूल अधिनियम की धारा ३३ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

विषय जिनके लिए अधोसंरचना विकास स्कीम द्वारा उपबंध किया जाएगा. "३३-क. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधोसंरचना विकास स्कीम में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात्:—

- (क) राज्य के भीतर अधोसंरचना विकास के लिए अपेक्षित स्कीमों और परियोजना तैयार करना, निश्चित करना एवं कार्यान्वित करना;
- (ख) अधोसंरचना स्कीम तथा मास्टर प्लान एवं नगर विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराना;
- (ग) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६), मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) और मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) के अधीन गठित स्थानीय निकायों, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ३ सन् १९७३) के अधीन गठित नगर विकास प्राधिकरणों तथा ऐसे ही अन्य संगठनों को उनकी तकनीकी तथा आंतरिक क्षमताओं तथा उनके वित्तीय संसाधनों में सुधार के लिए सहायता तथा परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराना;
- (घ) पुलों, सड़कों, राजमार्गों, हवाई अड्डों, नगर स्तर की जल प्रदाय तथा मलवहन प्रणाली का निर्माण या अधोसंरचना विकास के अन्य क्रियाकलाप जो कि धारा ३४-क के अधीन मण्डल द्वारा विनिश्चित किए जाएं."

धारा ३४-क का संशोधन. १२. मूल अधिनियम की धारा ३४-क में,—

(एक) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"अधोसंरचना विकास स्कीमों";

(दो) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(१) मण्डल की, जब कभी राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या विकास प्राधिकरण के अनुरोध पर या उसके स्वाविवेक पर यह राय हो, कि किसी क्षेत्र में अधोसंरचना विकास स्कीम आरंभ करना समीचीन है तो मण्डल एक विकास स्कीम विरचित कर सकेगा.";

(तीन) उपधारा (४) में, शब्द "विकास स्कीम" के स्थान पर, शब्द "अधोसंरचना विकास स्कीम" स्थापित किए जाएं.

धारा ३५ का संशोधन. १३. मूल अधिनियम की धारा ३५ में, उपधारा (२) में, खण्ड (क) में, शब्द "विकास स्कीमों" के स्थान पर, शब्द "अधोसंरचना विकास स्कीमों" स्थापित किए जाएं.

धारा ३७ का संशोधन. १४. मूल अधिनियम की धारा ३७ में, प्रथम परंतुक में शब्द "विकास स्कीमों" के स्थान पर, शब्द "अधोसंरचना विकास स्कीमों" स्थापित किए जाएं.

१५. मूल अधिनियम की धारा ४४ के पार्श्व शीर्ष तथा पाठ में, शब्द "गृह-निर्माण स्कीमों" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द "गृह-निर्माण स्कीमों एवं अधोसंरचना विकास स्कीमों" स्थापित किए जाएं.

धारा ४४ का संशोधन.

१६. मूल अधिनियम की धारा ६१ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा ६१-क का अंतःस्थापन.

"६१-क (१) मण्डल, अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए, अभिदायों या साम्या अभिदायों, जो अपने अधिशेष, अनुसूचित बैंकों, शासकीय वित्तीय संस्थाओं या राज्य सरकार द्वारा सम्यकरूप से अनुमोदित किन्हीं अन्य संगठनों द्वारा किए गए अभिदायों से, एक अधोसंरचना विकास निधि सृजित कर सकेगा.

अधोसंरचना विकास निधि.

(२) अधोसंरचना विकास निधि का उपयोग सम्भाव्यता का पूर्व अध्ययन, सम्भाव्यता संबंधी अध्ययन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, परियोजना विकास रिपोर्ट तैयार करने, परियोजना का वित्त पोषण करने, परियोजना कार्यान्वित करने और किसी अन्य अधोसंरचना विकास क्रियाकलाप के लिए जो कि मण्डल द्वारा अवधारित किया जाए, किया जा सकेगा.

(३) अधोसंरचना विकास निधि के उचित उपयोग के लिए मण्डल, कंपनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का १) या भारतीय न्यास अधिनियम, १८८२ (१८८२ का २) के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास के अधीन विशेष प्रयोजन माध्यम (स्पेशल परपज व्हीकल) बना सकेगा. अधोसंरचना विकास निधि मण्डल के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के अधीन होगी, जिसके लिए मण्डल विनियम विरचित करेगा."

१७. मूल अधिनियम की धारा ६२ में, उपधारा (३) में, शब्द "गृह-निर्माण स्कीम" के स्थान पर, शब्द "गृह-निर्माण तथा अधोसंरचना विकास स्कीमों" स्थापित किए जाएं.

धारा ६२ का संशोधन.

१८. मूल अधिनियम की धारा ७६ में, शब्द "गृह-निर्माण स्कीमों" के स्थान पर, शब्द "गृह-निर्माण तथा अधोसंरचना विकास स्कीमों" स्थापित किए जाएं.

धारा ७६ का संशोधन.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2011

क्र. ९३-८-इक्कीस-अ-(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल (संशोधन) अधिनियम, २०१० (क्रमांक ४ सन् २०११) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 4 OF 2011.

THE MADHYA PRADESH GRIHA NIRMAN MANDAL (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2010.

TABLE OF CONTENTS.

Sections :

1. Short title, and commencement.
2. Amendment of citation.
3. Substitution of long title.
4. Amendment of Section 1.
5. Amendment of Section 2.
6. Amendment of Section 3.
7. Amendment of heading of Chapter V.
8. Substitution of heading of Chapter VI.

9. Amendment of Section 31.
10. Amendment of Section 32.
11. Insertion of Section 33-A.
12. Amendment of Section 34-A.
13. Amendment of Section 35.
14. Amendment of Section 37.
15. Amendment of Section 44.
16. Insertion of Section 61-A.
17. Amendment of Section 62.
18. Amendment of Section 76.

MADHYA PRADESH ACT

No. 4 OF 2011.

THE MADHYA PRADESH GRIHA NIRMAN MANDAL (SANSHODHAN) ADHINIYAM,
2010.

[Received the assent of the Governor on the 30th December 2010; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 4th January 2011.]

An Act Further to amend the Madhya Pradesh Griha Nirman Mandal, Adhiniyam, 1972.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty first Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Griha Nirman Mandal (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of citation.

2. In the citation of the Madhya Pradesh Griha Nirman Mandal Adhiniyam, 1972 (No. 3 of 1973) (hereinafter referred to as the principal Act), for the words "Griha Nirman", the words "Griha Nirman Evam Adhosanrachna Vikas" shall be substituted.

Substitution of long title.

3. For the long title of the principal Act, the following long title shall be substituted, namely :—

"An Act to provide for the incorporation and regulation of a Housing and Infrastructure Development Board in the State of Madhya Pradesh for the purpose of taking measures to deal with and satisfying the need of housing accommodation and to undertake infrastructure development and for matters connected therewith."

Amendment of Section 1.

4. In Section 1 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "Griha Nirman", the words "Griha Nirman Evam Adhosanrachana Vikas" shall be substituted.

Amendment of Section 2.

5. In Section 2 of the principal Act,—

(i) in clause (3), for the words "Housing Board", the words "Housing and Infrastructure Development Board" shall be substituted;

(ii) for clause (7-a), the following clause shall be substituted, namely :—

"(7-a) "Infrastructure Development Schemes" includes schemes of construction of roads, bridges, sewage systems, airports, city level water supply and other infrastructure development schemes;"

<p>6. In the marginal heading and text of Section 3 of the principal Act, for the words “Housing Board”, the words “Housing and Infrastructure Development Board” shall be Substituted.</p>	<p>Amendment of Section 3.</p>
<p>7. In the heading of Chapter V of the principal Act, for the words “Housing Schemes”, the words “Housing and Infrastructure Development Schemes” shall be substituted.</p>	<p>Amendment of heading of Chapter V.</p>
<p>8. For the heading of Chapter VI of the principal Act, the following heading shall be substituted, namely:— “Housing Schemes and Infrastructure Development Schemes”.</p>	<p>Substitution of heading of Chapter VI.</p>
<p>9. In the marginal heading and text of Section 31 of the Principal Act, for the words “Housing Schemes and Development Schemes”, the words “Housing Schemes and/or Infrastructure Development Schemes” shall be substituted.</p>	<p>Amendment of Section 31.</p>
<p>10. In the marginal heading and text of Section 32 of the Principal Act, for the words “Housing Schemes and Development Schemes”, the words “Housing Schemes and/or Infrastructure Development Schemes” shall be substituted.</p>	<p>Amendment of Section 32.</p>
<p>11. After Section 33 of the Principal Act, the following Section shall be inserted, namely :—</p>	<p>Insertion of Section 33-A.</p>
<p>“ 33-A. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, an infrastructure development scheme may provide for all or any of the following matters, namely :—</p>	<p>Matters to be provided for by Infrastructure Development Scheme.</p>
<p>(a) to prepare, formulate and implement schemes and project as required for the infrastructure development within the State;</p> <p>(b) to provide technical and other assistance for infrastructure schemes and to implement master plan and city development plans;</p> <p>(c) to provide assistance and consultancy services to local bodies constituted under the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) and the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), urban development authorities constituted under the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 3 of 1973) and such other organizations for improving their technical and internal capacity and their financial resources;</p> <p>(d) to construct bridges, roads, highways, airports, city level-water Supplies and sewage systems or other infrastructure development activities as decided by the Board under section 34-A.”.</p>	
<p>12. In Section 34-A of the Principial Act,—</p>	<p>Amendment of Section 34-A.</p>
<p>(i) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely :—</p>	
<p>“ Infrastructure Development Schemes.”;</p>	
<p>(ii) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :—</p>	
<p>“ (1) Whenever the Board is of the opinion, on the basis of request by the State Government or request by local body or development authority or on its on motion, that it is expedient to take up infrastructure development scheme in any area, the Board may frame a Development Scheme.”.</p>	

- (iii) in sub-section (4), for the words “development scheme”, the words “infrastructure development scheme” shall be substituted.

Amendment of Section 35.

13. In Section 35 of the Principal Act, in sub-section (2), in clause (a), for the words “development schemes”, the words “infrastructure development schemes” shall be substituted.

Amendment of Section 37.

14. In Section 37 of the Principal Act, in the first proviso, for the words “development schemes” the words “Infrastructure development schemes” shall be substituted.

Amendment of Section 44.

15. In the marginal heading and text of Section 44 of the Principal Act, for the words “housing schemes” wherever they occur, the words “housing schemes and infrastructure development schemes” shall be substituted.

Insertion of Section 61-A

16. After Section 61 of the Principal Act, the following Section shall be inserted namely :—

Infrastructure Development Fund.

“ 61-A (1) The Board may, to carry out its functions create an Infrastructure Development Fund from contributions or equity contributions by the Board from its surpluses, scheduled banks, Government financial institutions or any other organisations duly approved by the State Government.

(2) The Infrastructure Development Fund may be utilised to conduct pre-feasibility studies, feasibility studies, preparation of detailed project reports, project development report, project financing, project execution and any other related infrastructure development activity as may be determined by the Board.

(3) For proper utilisation of Infrastructure Development Fund the Board may create a special purpose vehicle under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or a Trust registered under the Indian Trust Act, 1882 (2 of 1882). The Infrastructure Development Fund shall be under the control and supervision of the Board, for which the Board shall frame regulations.”.

Amendment of Section 62.

17. In Section 62 of the Principal Act, in sub-section (3), for the words “housing scheme”, the words “housing and infrastructure development schemes” shall be substituted.

Amendment of Section 76.

18. In Section 76 of the Principal Act, for the words “housing schemes”, the words “housing and infrastructure development schemes” shall be substituted.